बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या-5/आ01-103/2016- 551 पटना दिनांकः- 25/6/18

श्री अशोक कुमार जायसवाल, तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सेवानिवृत) द्वारा श्री कमल किशोर शर्मा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध निविदा आवंटन में धांधली एवं मनमानी करने से संबंधित वित्तीय मामले की जाँच लंबित रखते हुए सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाने, विभाग द्वारा दिये गये निर्देश एवं तदुपरांत बार-बार स्मारित किये जाने के बावजुद जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने का मामला सरकार के संज्ञान में आया।

2. मामले की सम्यक् समीक्षा की गई एवं श्री जायसवाल के विरूद्ध उक्त आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त उनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं0-700 दिनांक-01.09.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

3. अपर सदस्य राजस्व पर्षद्-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक-392 दिनांक-09.08.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें श्री जायसवाल के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित बताया गया।

4. जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित पदाधिकारी श्री जायसवाल से विभागीय पत्रांक-628, दिनांक-21.08.2017 एवं विभागीय पत्रांक-791, दिनांक-21.09.2017 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन की माँग की गयी।

5. आरोपित पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-शून्य, दिनांक-18.10.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर/लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। आरोपित पदाधिकारी के प्रत्युत्तर/लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त उनका बचाव बयान स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

6. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री अशोक जायसवाल, तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है:-

- **पेंशन से पच्चीस प्रतिशत (25%) राशि की अगले 5 (पाँच) वर्षो तक कटौती।**

7. उपर्युक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

8. उपर्युक्त दण्ड पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश: **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ01-103/2016- 551 पटना, दिनांक- 25/6/18

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ01-103/2016- 551 पटना, दिनांक- 25/6/18

प्रतिलिपिः-उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को पत्रांक-05/प्रो०3-03/2018(531) लो०से०आ०, दिनांक-25.05.2018 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ01-103/2016- 551 पटना, दिनांक- 25/6/18

प्रतिलिपिः-सचिव के आप्त सचिव/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01/ आई0टी0 मैनेजर (विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री अशोक कुमार जायसवाल, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त) पता-फ्लैट नं०-301, रामेश्वर अपार्टमेन्ट, मंडल कम्पाउण्ड, बोरिंग रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ०1-103/2016- 551 पटना/दिनांक- 25/6/18

प्रतिलिपिः- प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव